मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 27, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शीतला सहाय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह तथा पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगत नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिवंगत नेता के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 10.46 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 10.54 पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. पृच्छा : उज्जैन में श्री दिग्विजय सिंह के साथ हुई घटना सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग

उज्जैन में कल श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। कांग्रेस पक्ष तथा सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यगण एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 10.56 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 11.13 बजे पुनः समवेत् हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

सदन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यगण द्वारा नारेबाजी की गई, सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण से एक-एक करके, अपनी बात रखने हेतु आग्रह किया गया। किन्तु, कांग्रेस पक्ष के कुछ सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर गर्भगृह में आए। अत्यधिक शोरगुल एवं व्यवधान के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 11.17 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 11.49 बजे पुनः समवेत् हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कल अपराह्न 3.00 बजे का समय नियत किया गया।

3. प्रश्नोत्तर

सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण सदस्यों द्वारा प्रश्न नहीं पूछे जा सके। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 106 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 91 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की छात्र छात्राओं को गणवेश आदि की राशि के चेक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति,

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की इन्दौर-अहमदाबाद सड़क चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहण भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(3) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की इन्दौर जिले के सांवेर क्षेत्र के ग्रामों को नर्मदा तृतीय चरण योजना में न जोड़े जाने,

(4) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले के ग्रामों की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल न करने,

(5) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य की प्रदेश में हाईस्कूल पूरक परीक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित होने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर-बीना मार्ग के ग्राम किसनपुरा स्थित धसान नदी के पुल पर दुर्घटनाएं होने,

(7) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की राजगढ़ के सारंगपुर के काली सिंध नदी पर बने पुल के जर्जर होने,

(8) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर का पहाड़ी क्षेत्र वन विभाग में होने से उत्पन्न स्थिति,

(9) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की सेमरिया में स्कूल भवन एवं शिक्षकों की कमी होने तथा

(10) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इन्दौर में स्टाम्प वेन्डरों की कमी होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा की अपेक्षानुसार -

(क) नगर पालिका परिषद्, गुना का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11,

(ख) नगर परिषद् ब्यौहारी, जिला शहडोल, का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10,

(ग) नगर परिषद्, रामपुर नैकिन, जिला-सीधी का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं 2010-11,

(घ) से (ङ) नगर परिषद्,चित्रकूट,जिला-सतना तथा नामली,जिला रतलाम के संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11तथा

(च) से (छ) नगर पालिका परिषद्, शाजापुर, नीमच सीहोर एवं सारणी के संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

पटल पर रखे।

(2) श्री राघवजी,वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचनाएं- (क)क्रमांक ए-3-17-2010-1-पांच (25) दिनांक 1 अप्रैल, 2011 तथा (ख) क्रमांक ए-3-17-2011-1-पांच (31) दिनांक 1 अप्रैल, 2011 पटल पर रखीं।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2007-08 पटल पर रखे।

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,वर्ष 2006-07 पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के ग्राम कोटरा में दलितों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने सतना जिले में विद्युत वितरण एवं वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण पर प्रश्न पूछने की अनुमति न मिलने पर, विरोधस्वरूप कांग्रेस पक्ष के कुछ सदस्यगण के साथ सदन से बहिर्गमन किया गया। श्री रामलखन सिंह, सदस्य के नेतृत्व में बसपा सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण पर और अतिरिक्त पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न मिलने पर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(3) सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह एवं श्री आरिफ अकील, सदस्यगण ने भोपाल की लक्ष्मी टाकीज की लीज अवधि समाप्त होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले के ग्राम मजेठी से प्राप्त महिला के शव का परीक्षण न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज रात्रि 8.30 बजे श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के निवास पर आयोजित भोज में सभी सदस्यगण सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति के अष्टम्, नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के -

(क) रतनपुरा से आलमपुर तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम रहावली उबारी की पुलिस चौकी में स्टाफ की पदस्थापना किये जाने,
(ग) ग्राम अजनार की पुलिस चौकी में स्टाफ की पदस्थापना किये जाने तथा
(घ) ग्राम जखमौली से राठोर की मढ़ैयन व्हाया लारौल मार्ग पर सिंध नदी पर पुल निर्माण किये जाने;

(2) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा, सदस्य ने नीमच जिले के -

(क) ग्राम मलाहेड़ा से पड़दा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम तलाऊ से खेजड़ी के मध्य पुलिया निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम बडकुआ से चपलाना तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम अल्हेड से मनासा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम मोया में हाई स्कूल खोले जाने एवं
(च) ग्राम बोरखेड़ी में स्टाप डेम निर्माण किये जाने तथा

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिला मुख्यालय में शासकीय ऊर्दू प्राथमिक शाला खोली जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

11. वर्ष 2011-2012 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं। तद्नुसार, श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पैंतीस सौ अड़तीस करोड़, अड़सठ लाख, छब्बीस हजार, सात सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

(अपराह्न 1.00 से 2.40 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री मनीराम धाकड़
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री के.पी. सिंह
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री रामलखन सिंह
(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(10) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(11) श्री यादवेन्द्र सिंह

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से वित्त मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 28, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 जुलाई, 2011